भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †5167

उत्तर देने की तारीख- 04/04/2022

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का अनुसूचित जनजाति का दर्जा

†5167. श्रीमती प्रतिभा सिंह:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के ट्रांस-गिरि क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने उक्त मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि उत्तराखंड के जौनसार-बावर को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र के सिरमौर रियासती राज्य का हिस्सा होने के बावजूद उक्त क्षेत्र के जनजातीय व्यक्ति अभी भी उक्त दर्जे से वंचित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है*?*

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (घ) : संविधान के अनुच्छेद 244 के प्रावधान कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में नामित करने और उनके प्रशासन के लिए सक्षम बनाता है। संविधान दो प्रकार के क्षेत्रों, संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार "अनुसूचित क्षेत्रों" के रूप में नामित क्षेत्रों और संविधान की छठी अनुसूची के संदर्भ में 'जनजातीय क्षेत्रों' के रूप में नामित क्षेत्रों के लिए प्रावधान करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत पांचवीं अनुसूची के संवैधानिक प्रावधान के अनुसार "अनुसूचित क्षेत्र" शब्द का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। किसी अनुसूचित क्षेत्र का विनिर्देशन या मौजूदा अनुसूचित क्षेत्र का आशोधन उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात और भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से जारी अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है। भारत के संविधान की छठी अनुसूची के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अनुसार "जनजातीय क्षेत्रों" को निर्दिष्ट किया गया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सिरमौर जिले के संपूर्ण ट्रांस-गिरी क्षेत्र, शिमला जिले के डोडरा क्वार उप-मंडल, शिमला और कुल्लू जिलों के 15/20 क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाता है - जनजातीय आबादी की प्रधानता, क्षेत्र की सघनता और उचित आकार, एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई (एनटिटी) जैसे कि जिला, ब्लॉक या तालुक, और पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

मंत्रालय में प्रस्ताव की जांच की गई थी और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपेक्षित मानदंडों की कमी के कारण विचार नहीं किया जा सका। तदनुसार, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के लिए वर्तमान प्रपत्र में प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

(ङ): उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार अभी तक न तो संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) के तहत "अनुसूचित क्षेत्रों" और न ही संविधान की छठी अनुसूची के अनुच्छेद 244(2) के तहत "जनजातीय क्षेत्रों" को उत्तराखंड राज्य में अधिसूचित किया गया है।

(च): जैसा कि ऊपर (क) से (घ) के तहत उल्लेख किया गया है।

*****